

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 96 No-3 / 2023Dated: 05-04-2023

Certified that the न्यू बियरशिबा पब्लिक स्कूल, पो0 ओ0 पिथौरागढ़ (name of the building or premises) at कुमौड़, पो0 ओ0 पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ़ (address) comprised of .....basement(s) and तीन फ्लोर (upper floors) owned/occupied by न्यू बियरशिबा पब्लिक स्कूल, पो0 ओ0 पिथौरागढ़ (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 18-03-2023 ( date of inspection) in the presence of प्रधानाचार्या, न्यू बियरशिबा पब्लिक स्कूल, पो0 ओ0 पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ़ (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII (X/XII) with effect from 25-03-2023 से 24-03-2026 तक for a period of तीन वर्ष in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
7. शिक्षण संस्थान में कम्प्यूटर एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में एक अदद सीओटू एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9.5 किग्रा0, अन्य लैब में एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 मय 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 मय 04 अदद सैण्ड बकेट के स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

Issued on 05-04-2023 (date of issue) at पिथौरागढ़ (place) by अग्निशमन अधिकारी

\* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : अग्निशमन अधिकारी

Name : पिथौरागढ़

Designation : अग्निशमन अधिकारी

Name & Address of Department/Office:

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड

To

न्यू बियरशिबा पब्लिक स्कूल,  
पो0 ओ0 पिथौरागढ़, जनपद-पिथौरागढ़  
(Name & Address of the Institution)

B. Bhatia  
Manager  
New Beersheba Public School  
Pithoragarh

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to .....  
(reasons to be recorded)

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.